28.11.2025

आज यह पत्रावली वकील वादीगण द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वकील वादीगण ने बताया कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जिसके आदेश का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने No objection किया। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पत्रांक 4956 Dt. 07/11/25 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, शा० है। बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वाद बाबत डिक्री किया जाता है। विधिवत डिक्री अलग से लिखवाया जाकर शामिल किया जाकर डिक्री जारी हो। पत्रावली रिकार्ड में जमा हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2023/231

(signature)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:44:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 273/2023 (RCMS:-2023/231) दायर दिनांक : 10.10.2023

1. ओम प्रकाश पुत्र अर्जनराम जाति सोनी निवासी वार्ड नं. 22, शिवबाड़ी रोड, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. मंजू देवी पत्नी कैलाशचन्द जाति सोनी निवासी वार्ड नं. 22, नजदीक शिवबाड़ी मन्दिर, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. भपी देवी पत्नी गौरी शंकर जाति अरोड़ा निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. गोपीगर पुत्र डूंगरगर जाति गुसाईं निवासी वार्ड नं. 3, सेन्ट्रल जेल के पीछे, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—वादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बनाम

1. विजय लक्ष्मी पत्नी राम कुमार सोनी जाति सोनी निवासी केसरिया मन्दिर के सामने, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर
2. कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम जाति गोस्वामी निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन
3. सुनील कुमार पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी बनवाली ढ़ाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. गिरधारीलाल पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम भगवानसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. कृष्णलाल पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. इन्द्र कुमार पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
7. घनश्याम सिंगला पुत्र प्रवेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़
8. अजीत सिंह } पुत्र सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम हिन्दौर
9. संदीप कुमार } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
11. जीवणी पत्नी सुभाष चन्द्र [illegible] साकिन हिन्दौर तहसील सूरतगढ़
12. व्यवस्थापक, एस.बी.आई. बैंक, पीलीबंगा

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 16:44:03 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(273/2023 ओम प्रकाश वगैरह बनाम विजय लक्ष्मी व अन्य)

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री संजीव कालिया, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 से 7
4. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 8, 9 व 11
5. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : २८.11.2025

आज यह पत्रावली वादीगण के प्रार्थना–पत्र पर पेशी में ली गई। पत्रावली में तारीख पेशी 07.01.2026 नियत थी, किन्तु वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त वाद रोही हिन्दौर की भूमि के खाता विभाजन बाबत जैरकार था जिसमें आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.10.2025 को जारी की जा चुकी थी और विभाजन प्रस्ताव तहसील से मंगवाया गया था। विभाजन प्रस्ताव समय पर ना आने के कारण आगामी तारीख पेशी 07.01.2026 दी गई है, जो कि बहुत विलम्ब की तारीख है। वर्तमान में विभाजन प्रस्ताव तहसील से आ चुका है और प्रार्थीगण शीघ्र निर्णय चाहते हैं, इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण की पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव के निर्णय हेतु शीघ्र पेशी में ली जाकर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने व पक्षकारान को कोई एतराज नहीं होने पर पत्रावली आज पेशी में लेकर सुनवाई की गई।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण सुनवाई के दौरान उपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के संक्षेप में विचारण बिन्दु इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि रोही हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 70 के खाता सं. 23 के खसरा नं. 46/2 में 8.830 है0 व खसरा नं. 312/207 (गोल घेरा में खसरा [illegible] 46) में 0.278 है0, कुल 9.108 है0 (8.944 है0 बारानी व 0.164 है0 [illegible]) [illegible] खसरा नं. 46/2 में वादी सं. 1 के नाम 0.344 है0, [illegible] है0, वादीया सं. 3 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 16:44:03 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

0.859 है0, वादी सं. 4 के नाम 0.686 है0 व शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 9 व 11 के नाम अंकित हिस्सा अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण ने अपने नाम अंकित कुल 2.404 है0 भूमि का कब्जा अनुसार अलग कायम करने की प्रार्थना की। प्रतिवादीगण ने भी स्वयं के नाम अंकित हिस्सा भूमि का खाता बाद खाता विभाजन कब्जा अनुसार अलग कायम करने का प्रतिदावा प्रस्तुत किया। बाद सुनवाई दिनांक 03.10.2025 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर खाता विभाजन मुताबिक अंकित हिस्सा व कब्जा अनुसार किया जाना स्वीकार कर तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को उक्त खाता का पक्षकारान का मुताबिक हिस्सा व कब्जा का अलग खाता कायम करने हेतु विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। आदेशों की पालना में दिनांक 07.11.2025 को विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर सुनवाई की गई। वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन किये जाने की प्रार्थना की गई व वाद वादी इसी अनुसार स्वीकार आदेश व अन्तिम डिक्री जारी करने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादीगण के अभिभाषकगण द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया व प्रतिदावा के आधार पर प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अलग खाता कायम करने की प्रार्थना की गई। विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई पर पाया कि नियमानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। सुनवाई के समय भी पक्षकारों द्वारा तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। विभाजन प्रस्ताव में रास्ता सभी को उपलब्ध हो, इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा स्वीकार कर रोही हिंन्दौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 70 के खाता सं. 23 के खसरा नं. 46/2 में 8.830 है0 व खसरा नं. 312/207 ([illegible] खसरा नं. 312/46) में 0.278 है0, कुल 9.108 है0 ([illegible] गै.मु.) भूमि का खाता विभाजन कर तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को निम्न प्रकार से संलग्न नक्शानुसार पक्षकारान के नाम से अलग खाता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:44:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 4 पर

नाम खातेदारान	ग्राम	ख.नं.	रकबा
ओमप्रकाश पुत्र अर्जनराम **0.344 है0,** मंजूदेवी पत्नी कैलाशचन्द **0.515 है0,** जाति सोनी सा. वार्ड नं. 22, शिवबाड़ी सूरतगढ़ खातेदार, भपीदेवी पत्नी गौरीशंकर **0.859 है0** जाति अरोड़ा सा. सूरतगढ़ खातेदार, गोपीगर पुत्र डूंगरराम **0.686 है0** जाति गुसाईं सा. बड़ोपल तहसील पीलीबंगा हाल निवासी सूरतगढ़ खातेदार,	रोही हिन्दौर	46/2	**2.404 है0** उत्तर–पश्चिम कोने में अर्थात रास्ते से उत्तर व एन.एच.–62 के पश्चिम दिशा में
जीवणी पत्नी सुभाषचन्द्र **1.138 है0** जाति जाट सा. हिन्दौर खातेदार	रोही हिन्दौर	46/2	**1.138 है0** दक्षिण–पश्चिम कोने में अर्थात रास्ते से दक्षिण व एन.एच.–62 के पश्चिम दिशा में
विजयलक्ष्मी पत्नी रामकुमार **3.289 है0** जाति सोनी सा. केसरिया मन्दिर के सामने, बीकानेर खातेदार	रोही हिन्दौर	46/2	**3.289 है0** दक्षिण–पूर्वी कोने में अर्थात हिन्दौर ग्रामीण सड़क, जो अण्डरब्रिज को जाती है, के दक्षिण व एन. एच.–62 के पूर्व व रेल्वे लाईन के पश्चिम दिशा में
कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम **0.506 है0** जाति गोस्वामी सा. हनुमानगढ़ जंक्शन खातेदार, सुनीलकुमार पुत्र हरीराम **0.253 है0** जाति कुम्हार सा. बुनावाली ढ़ाणी खातेदार, गिरधारीलाल पुत्र चेतनराम **0.253 है0** जाति कुम्हार सा. भगवानसर खातेदार, कृष्णलाल पुत्र भादरराम **0.253 है0** जाति कुम्हार सा. संगीता खातेदार, इन्द्रकुमार पुत्र भूराराम **0.253 है0** जाति कुम्हार सा. सूरतगढ़ खातेदार, घनश्याम सिंगला पुत्र प्रवेश कुमार **0.481 है0** जाति अग्रवाल सा. हनुमानगढ़ खातेदार	रोही हिन्दौर	46/2	**1.999 है0** उत्तर–पूर्वी कोने में अर्थात हिन्दौर ग्रामीण सड़क के उत्तर व एन.एच. –62 के पूर्व व रेल्वे लाईन के पश्चिम दिशा में

इसी अनुसार संलग्न नक्शा में पक्षकारान की भूमि दर्शायी गई है। शेष खसरा नं. 312/207 (गोल घेरा में खसरा नं. 312/46) की 0.278 है0 बारानी भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अजीतसिंह, सन्दीपकुमार पि. सुभाषचन्द्र जाति जाट सा. हिन्दौर खातेदारान के नाम यथावत अंकित रहेगी। उक्त पक्षकारान में से यदि किसी पक्षकार का रकबा रिकॉर्ड में रहन अंकित हो तो उस पक्षकार के नाम से रहन का अंकन पूर्व अनुसार पक्षकार खातेदार के नाम के आगे अंकित किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार पक्षकारान की अलग–अलग खाते कायम करें, इस हेतु आदेश प्रदान किये जाते हैं। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री उक्त वाद में माना जाकर अन्तिम विभाजन की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:44:03 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 28.11.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अन्तिम डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

1. ओम प्रकाश पुत्र अर्जनराम जाति सोनी निवासी वार्ड नं. 22, शिवबाड़ी रोड, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. मंजू देवी पत्नी कैलाशचन्द जाति सोनी निवासी वार्ड नं. 22, नजदीक शिवबाड़ी मन्दिर, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. भपी देवी पत्नी गौरी शंकर जाति अरोड़ा नि. सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. गोपीगर पुत्र डूंगरगर जाति गुसाईं निवासी वार्ड नं. 3, सेन्ट्रल जेल के पीछे, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1. विजय लक्ष्मी पत्नी राम कुमार सोनी जाति सोनी निवासी केसरिया मन्दिर के सामने, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर
2. कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम जाति गोस्वामी निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन
3. सुनील कुमार पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी बनवाली ढ़ाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. गिरधारीलाल पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार नि. भगवानसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. कृष्णलाल पुत्र भादरराम जाति कुम्हार नि. ग्राम संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. इन्द्र कुमार पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
7. घनश्याम सिंगला पुत्र प्रवेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़
8. अजीत सिंह } पुत्र सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम हिन्दौर
9. संदीप कुमार } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
11. जीवणी पत्नी सुभाष चन्द्र जाट साकिन हिन्दौर तहसील सूरतगढ़
12. व्यवस्थापक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, पीलीबंगा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 273 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री भगवान दत्त शर्मा व अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 से 7 श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 8, 9 व 11 श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार** एवं **राज पैरोकार** के पेश होने पर **अन्तिम डिक्री** जारी कर निम्न प्रकार आदेशित किया जाता है :

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा स्वीकार कर रोही हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 70 के खाता सं. 23 के खसरा नं. 46/2 में 8.830 है0 व खसरा नं. 312/207 (गोल घेरा में खसरा नं. 312/46) में 0.278 है0, कुल 9.108 है0 (8.944 है0 बारानी व 0.164 है0 गै.मु.) भूमि का ग्राम विभाजन तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को निम्न प्रकार से संलग्न नक्शानुसार पक्षकारान के नाम से अलग खाता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:44:03 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(अन्तिम डिक्री प्र.स. 273/2023 ओम प्रकाश वगैरह बनाम विजय लक्ष्मी व अन्य)

नाम खातेदारान	ग्राम	ख.नं.	रकबा
ओमप्रकाश पुत्र अर्जनराम **0.344 है0**, मंजूदेवी पत्नी कैलाशचन्द **0.515 है0**, जाति सोनी सा. वार्ड नं. 22, शिवबाड़ी सूरतगढ़ खातेदार, भपीदेवी पत्नी गौरीशंकर **0.859 है0** जाति अरोड़ा सा. सूरतगढ़ खातेदार, गोपीगर पुत्र डूंगरराम **0.686 है0** जाति गुसाई सा. बड़ोपल तहसील पीलीबंगा हाल निवासी सूरतगढ़ खातेदार,	रोही हिन्दौर	46/2	**2.404 है0** उत्तर–पश्चिम कोने में अर्थात रास्ते से उत्तर व एन.एच.–62 के पश्चिम दिशा में
जीवणी पत्नी सुभाषचन्द्र **1.138 है0** जाति जाट सा. हिन्दौर खातेदार	रोही हिन्दौर	46/2	**1.138 है0** दक्षिण–पश्चिम कोने में अर्थात रास्ते से दक्षिण व एन.एच.–62 के पश्चिम दिशा में
विजयलक्ष्मी पत्नी रामकुमार **3.289 है0** जाति सोनी सा. केसरिया मन्दिर के सामने, बीकानेर खातेदार	रोही हिन्दौर	46/2	**3.289 है0** दक्षिण–पूर्वी कोने में अर्थात हिन्दौर ग्रामीण सड़क, जो अण्डरब्रिज को जाती है, के दक्षिण व एन. एच.–62 के पूर्व व रेल्वे लाईन के पश्चिम दिशा में
कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम **0.506 है0** जाति गोस्वामी सा. हनुमानगढ़ जंक्शन खातेदार, सुनीलकुमार पुत्र हरीराम **0.253 है0** जाति कुम्हार सा. बुनावाली ढ़ाणी खातेदार, गिरधारीलाल पुत्र चेतनराम **0.253 है0** जाति कुम्हार सा. भगवानसर खातेदार, कृष्णलाल पुत्र भादरराम **0.253 है0** जाति कुम्हार सा. संगीता खातेदार, इन्द्रकुमार पुत्र भूराराम **0.253 है0** जाति कुम्हार सा. सूरतगढ़ खातेदार, घनश्याम सिंगला पुत्र प्रवेश कुमार **0.481 है0** जाति अग्रवाल सा. हनुमानगढ़ खातेदार	रोही हिन्दौर	46/2	**1.999 है0** उत्तर–पूर्वी कोने में अर्थात हिन्दौर ग्रामीण सड़क के उत्तर व एन.एच.–62 के पूर्व व रेल्वे लाईन के पश्चिम दिशा में

इसी अनुसार संलग्न नक्शा में पक्षकारान की भूमि दर्शायी गई है। शेष खसरा नं. 312/207 (गोल घेरा में खसरा नं. 312/46) की 0.278 है0 बारानी भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अजीतसिंह, सन्दीपकुमार पि. सुभाषचन्द्र जाति जाट सा. हिन्दौर खातेदारान के नाम यथावत अंकित रहेगी। उक्त पक्षकारान में से यदि किसी पक्षकार का रकबा रिकॉर्ड में रहन अंकित हो तो उस पक्षकार के नाम से रहन का अंकन पूर्व अनुसार [illegible] नाम के आगे अंकित किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ राजस्व [illegible] इसी अनुसार पक्षकारान का अलग–अलग खाता कायम करें, इस हेतु आदेश [illegible] किये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 16:44:03 IST
Reason: SelfAttested

नोज ....×......... [illegible] ....×......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. [illegible] ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २९.11.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़